



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219577
CG-DL-E-27052020-219577

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1482]
No. 1482]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISTHA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

का.आ.1649(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य में नाचना—बागुण्डी—पचपदरा रिफाइनरी (IG Canal to Nachana Raw Water Reservoir Chamber Section) तक पानी के परिवहन के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री उगमदान रत्नू, सक्षम प्राधिकारी, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान), तेल भवन, सहकार मार्ग, लाल कोठी विस्तार, ज्योति नगर, जयपुर-302 005 (राजस्थान) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : नाचना-2		जिला : जैसलमेर	राज्य : राजस्थान		
क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	नाचना बरानी	4079	00	41	88
		4220/4445	00	12	50
		4208	00	18	18
		4259	00	09	64
		ख.नं. 4259 और 4206 के बीच में	00	66	05
		4206	00	13	09
		4209	00	07	85
		4210	00	12	48
		4062	00	72	67
		4081/4433	00	04	00
		4264/4450	00	02	70

[फा. नं. आर-11025/1/2019.ओ आर- I/ई-31849]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

S.O.1649 (E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Nachana-Bagundi-Pachpadra Refinery (IG Canal to Nachana Raw Water Reservoir Chamber Section), a pipeline should be laid in State of Rajasthan by HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Ugandan Ratnool, Competent Authority, HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan), Tel Bhavan, Sahakar Marg, Lal Kothi Vistar, Jyotinagar, Jaipur -302 005 (Rajasthan).

SCHEDULE

TEHSIL : NACHANA-2		DISTRICT : JAISALMER		STATE : RAJASTHAN	
Sr. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	NACHANA BARANI	4079	00	41	88
		4220/4445	00	12	50
		4208	00	18	18
		4259	00	09	64
		In Bet Khasra No. 4259&4206	00	66	05
		4206	00	13	09
		4209	00	07	85
		4210	00	12	48
		4062	00	72	67
		4081/4433	00	04	00
		4264/4450	00	02	70

[F. No. R- 11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.